न्यायलय माननीय राजस्व मंडल म.प्र., ग्वालियर, केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्र. /2014 निगरानी – R-2085-I/14

फर्म जैन ट्रेडर्स द्वारा प्रो प्रायटर श्री
सुभाषचन्द्र पिता शान्तिलालजी
जैन 27 जवाहर मार्ग स्टेशन रोड खचरोद
जिला उज्जैन म0प्र0

—निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन

द्वारा जिला पंजीयक एवं

कलेक्टर स्टाम्पस

उज्जैन (म.प्र.) —रेस्पांडेंट

425
28/5/2014

<u>निगरानी आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 56(4) स्टाम्प एक्ट</u>

जिला पंजीयक एवम् कलेक्टर स्टाम्प्स उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/बी–103/13–14 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2014 से दस्तावेज पट्टा विलेख को अपर्याप्त मुद्रांकित मानकर कमी स्टाम्प ड्यूटी 14786/– एवम् पंजीयन शुल्क रूपये ....–............तथा अर्थदण्ड रूपये 100 अक्षरी एक सौ रूपये की वसूली का आदेश पारित करने से असन्तुष्ट होने से यह निगरानी आवेदन सादर प्रस्तुत है।

———

(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(110)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2085-एक/2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 20-07-2017 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	